न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0–600/2012

20.07.2023

उभय पक्ष की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–17.04.2023 एवं उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक–22.06.2023 पर उभय पक्षों के सुनवाई उपरांत आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया गया था जो तामिल हुआ वो उसका निबंाित डाक रसीद दाखिल किया गया है। इसके अलावा प्रभारी विधि शाखा मोकाम बक्सर के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापांक संख्या–061746 दिनांक–26.11.2012 की मूल प्रति दाखिल किया गया है जिसे प्रदर्श अंकित करने की प्रार्थना करते है।

प्रतिवादी अधिवक्ता सुनवाई के दौरान कहना है कि वादी का आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है। मुकदमा में बिहार सरकार प्रतिवादी पक्षकार है। वो हाजिर होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल कर मुकदमा को कंटेस्ट कर रहे हैं। वादी द्वारा मुकदमा में 80 सी.पी.सी. का नोटिस का प्रति दाखिल किया गया है। वादी के आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

उभय पक्ष को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए वादी के प्रदर्श आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा दस्तावेजों को आपत्ति के साथ प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–............................वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सब जज–तृतीय